रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08052021-226927
CG-DL-E-08052021-226927

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 144] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 7, 2021/वैशाख 17, 1943
No. 144] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 7, 2021/VAISAKHA 17, 1943

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

जांच समाप्ति आदेश

नई दिल्ली,7 मई, 2021

<u>मामला सं. एडीडी-ओआई-08/2020</u>

विषय: मै० किम टिन एमडीएफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, वियतनाम द्वारा उत्पादित 6 एमएम या उससे अधिक मोटाई वाले प्लेन मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच।

फा. सं. 6/9/2020-डीजीटीआर.—समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) तथा समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली या एडी नियमावली भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए;

क. <u>मामले की पृष्ठभूमि</u>

1. इंडोनेशिया और वियतनाम से संबद्ध वस्तु से आयातों से संबंधित मूल पाटनरोधी जांच प्राधिकारी द्वारा अधिसूचना संख्या 14/23/2014-डीजीएडी दिनांक 7 मई, 2015 के माध्यम से शुरू की गई थी। प्राधिकारी ने

अधिसूचना संख्या 14/23/2014/डीजीएडी दिनांक 5 मई, 2016 के माध्यम से अंतिम जांच परिणाम अधिसूचित किए जिनमें इंडोनेशिया और वियतनाम से 6 एमएम या उससे अधिक मोटाई वाले प्लेन मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की गई। निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 34/2016-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 14 जुलाई, 2016 द्वारा संबद्ध वस्तु पर लगाया गया था। यह शुल्क 13 जुलाई, 2021 तक प्रभावी हैं। मै० किम टिन एमडीएफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, वियतनाम पर कोई पाटनरोधी शुल्क नहीं लगाया गया था क्योंकि उसका पाटन मार्जिन न्यूनतम सीमा से कम था।

2. मै० ग्रीनप्लाई इंडस्ट्रीज लि०/ मै० ग्रीनपैनल इंडस्ट्रीज लि०, मै० सेंचुरी प्लाईबोर्ड (इंडिया) लि०, और मै० रूशिल डेकर लि० (जिन्हें आगे आवेदक या घरेलू उद्योग भी कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष घरेलू उद्योग की ओर से एक विधिवत रूप से साक्ष्यांकित आवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें मै० किम टिन एमडीएफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, वियतनाम जिसे आगे संबद्ध निर्यातक कहा गया है, द्वारा उत्पादित 6 एमएम या उससे अधिक मोटाई वाले प्लेन मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड (जिन्हें आगे विचाराधीन उत्पाद या पी यू सी या संबद्ध वस्तु भी कहा गया है) के आयातों से संबंधित मूल पाटनरोधी जांच शुरू करने का अनुरोध किया गया था।

3. आवेदकों द्वारा प्रस्तुत पाटन और क्षति के प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य सहित साक्षांकित आवेदन के आधार पर प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 5 के अनुसार भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 6/9/2020-डीजीटीआर दिनांक 11 मई, 2020 द्वारा पाटनरोधी जांच की शुरूआत की थी ताकि मै० किम टिन एमडीएफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, वियतनाम द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु के कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव निर्धारित किया जा सके और पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश की जा सके जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई कथित वास्तविक क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगी।

ख. प्रक्रिया

4. इस जांच के संबंध में नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन किया गया है।

i. प्राधिकारी ने एडी नियमावली के नियम उप नियम 5(5) के अनुसार जांच की शुरूआत करने से पहले वर्तमान आवेदन पत्र प्राप्त होने के संबंध में भारत में वियतनाम के दूतावास को अधिसूचित किया।

ii. प्राधिकारी ने भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित दिनांक 11 मई, 2020 को एक अधिसूचना जारी की जिसमें संबद्ध निर्यातक से संबद्ध वस्तु के आयातों से संबंधित जांच की शुरूआत की गई।

iii. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवेदक द्वारा दिए गए पतों के अनुसार वियतनाम के दूतावास के संबद्ध निर्यातक, ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को जांच शुरूआत अधिसूचना की एक-एक प्रति भेजी और उनसे सूचना की प्राप्ति से 60 दिनों के भीतर लिखित मे अपने विचारों से अवगत कराने का अनुरोध किया ।

iv. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार संबद्ध निर्यातक, ज्ञात आयातकों और भारत में वियतनाम के दूतावास को अगोपनीय अंश की एक प्रति भेजी।

v. प्राधिकारी ने मै० किम टिन एमडीएफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, वियतनाम को निर्यातक प्रश्नावली भेजीं ।

vi भारत में वियतनाम के दूतावास से यह भी अनुरोध किया गया था कि वे संबद्ध निर्यातक को विहित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दें । पत्र और प्रश्नावली की एक प्रति संबद्ध निर्यातक को भेजी गई।

vii. संबद्ध निर्यातक और उसकी निम्नलिखित संबंधित कंपनियों ने जांच शुरूआत अधिसूचना के उत्तर में निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर और कानूनी अनुरोध और/या भागीदारी संबंधी पत्र प्रस्तुत किये हैं।

i. मै० किम टिन एमडीएफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी

ii. मै० एफएससी वियतनाम कारपोरेशन

iii. मै० किम टिन इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन

iv. मै० किम टिन ग्रुप ज्वाइंट स्टॉक कंपनी

viii. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध वस्तु के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं/प्रयोक्ता एसोसिएशनों जिनके नाम और पतें प्राधिकारी को दिए गए थे, को जांच शुरूआत अधिसूचना की एक-एक प्रति भेजी थी और उनसे नियम 6(4) के अनुसार प्राधिकारी द्वारा विहित समय-सीमा के भीतर लिखित में अपने विचारों से अवगत कराने की सलाह दी थी।

क. मै० कृष्णा प्लाईवुड प्रोडक्ट प्रा० लि०

ख. मै० जैकसंस वीनियर्स एंड पैनल्स प्रा० लि०

ग. मै० लेबेल सेल्स कारपोरेशन

घ. मै० कलिंगा इंपोट्स एंड एक्सपोर्ट्स प्रा० लि०

ड. मै० श्रीवारी ट्रेडर्स

च. मै० विक्टरी प्लाईवुड डिस्टीब्यूटर्स

छ. मै० थमारापल्ली ब्रादर्स ट्रेडिंग प्रा० लि०

ज. मै० मैथ्युसंस एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स प्रा० लि०

झ. आर. जे. मेटल्स

ञ. मै० फेरोक बोर्ड लि०

ix. किसी भी आयातक/प्रयोक्ता/प्रयोक्ता ऐसोसिएशन ने वर्तमान जांच में अनुरोध या प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत नहीं किए हैं।

x. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई थी। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने जहां अवश्यक हो, गोपनीयता के दावे को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उसका प्रकटन नहीं किया है। जहां संभव हो, गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से गोपनीय आधार प्रस्तुत सूचना के पर्याप्त अगोपनीय अंश प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था।

xi. सभी हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची इस अनुरोध के साथ डीजीटीआर की वेबसाइट पर डाली गई है कि सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोधों के एनसीवी को ई-मेल करना है क्योंकि वर्तमान वैश्विक महामारी के कारण सार्वजनिक फाइल को भौतिक रूप में दिखाना संभव नहीं था।

xii. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि 1 जुलाई, 2019 से 30 जून, 2020 (पी ओ आई) मानी गई है। क्षति जांच अवधि 2016-17, 2017-18, अप्रैल, 2018 – जून, 2019 और जांच अवधि के रूप में मानी गई थी।

xiii. सामान्यतया स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों (जीएएपी) और पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर भारत में संबद्ध सामानों की उत्पादन लागत और निर्माण एवं बिक्री लागत के आधार पर क्षति रहित कीमत (एन आई पी) निर्धारित की गई है । इसे इसलिए ज्ञात किया गया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।

xiv. वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) से पिछले तीन वर्षों और जांच अवधि के लिए सौदावार आयात आंकड़ों संबंधी प्राप्त सूचना को भारत में संबंधित उत्पाद के आयात की मात्रा और मूल्य के निर्धारण हेतु अपनाया गया है।

xv. नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार प्राधिकारी ने 26 फरवरी, 2021 को हुई सुनवाई में सभी हितबद्ध पक्षकारों को मौखिक रूप से उनके विचार प्रस्तुत करने का अवसर दिया। मौखिक सुनवाई में भाग लेने वाले सभी पक्षकारों को लिखित अनुरोध और उनके खंडन यदि कोई हों, प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया।

xvi. इस जांच के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों को संगत पाये जाने पर इस अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा शामिल किया गया है।

xvii. जहां कहीं भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच की प्रक्रिया के दौरान आवश्यक सूचना देने से मना किया या अन्यथा उसे प्रदान नहीं किया है अथवा जांच में अत्यधिक बाधा डाली है, वहां प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर यह अधिसूचना रिकार्ड की है।

xviii. इस अधिसूचना में *** किसी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई तथा प्राधिकारी द्वारा नियमावली के तहत गोपनीय मानी गई सूचना दर्शाते हैं।

xix. पी ओ आई के दौरान संबद्ध जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनियम दर 1 अमेरिकी डॉलर = 71.34 रुपए है।

ग. वर्तमान जांच के जारी रहने से संबंधित हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए प्रमुख तर्क

5. मै० किम टिन एमडीएफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, वियतनाम जो वर्तमान जांच में जांच के अधीन एक मात्र निर्यातक है, ने वर्तमान जांच के जारी रखने से संबंधित निम्नलिखित अनुरोध किए हैं :-

i. जांच की शुरूआत नहीं की जा सकती है। यह जांच स्पष्ट रूप से एक सार्वजनिक सूचना जारी करके निर्यातक के विरूद्ध समाप्त नहीं की गई थी और शुल्क अब भी लागू है। नियम यह नहीं है कि जीरो या शून्य शुल्क को जांच समाप्ति नहीं माना जाएगा। मूल जांच में निष्कर्ष में भी जांच समाप्ति की चर्चा नहीं है जबकि वतर्मान जांच में जांच शुरूआत अधिसूचना में ऐसा बताया गया है।

ii. प्राधिकारी की यह समुक्ति कि किम टिन के विरूद्ध कोई समीक्षा नहीं की जा सकती है, इस गलत धारणा पर आधारित है कि किम टिन के विरूद्ध मामला समाप्त हो गया था।

iii. यह याचिका ऐसे मामलों में प्राधिकारी के दृष्टिकोण पर विचार किए बिना दायर की गई थी। समान मामले में घरेलू उद्योग द्वारा दिया गया तर्क कि न्यूनतम सीमा से कम मार्जिन के मामले में शून्य शुल्क कानूनी है और शून्य शुल्क वाले निर्यातक को समीक्षा के अधीन रखा जा सकता है, को प्राधिकारी और सेस्टेट ने स्वीकृत किया था। इसके मद्देनजर किम टिन समीक्षा और वर्तमान जांच के अधीन नहीं रखा जाना चाहिए।

iv. किम टिन ने पूर्ववर्ती जांच में स्पष्ट जांच समाप्ति की अपील नहीं की क्योंकि सक्षम प्राधिकारियों का विचार था कि शून्य शुल्क भी शुल्क का एक रूप है और समीक्षा के अधीन हो सकता है।

6. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं :-

क. वर्तमान आवेदन डब्ल्यू टी ओ और भारतीय कानून के अनुपालन में है। प्राधिकारी ने पूर्व में पी वी सी सस्पेंशन, पी वी सी पेस्ट और थैलिक एनहाइड्राइड मामले में निर्णायक समीक्षा की है जहां प्रतिवादी निर्यातकों के न्यूनतम सीमा से कम पाटन मार्जिन थे। यद्यपि प्राधकारी ने विरोधी पक्षकारों का यह तर्क स्वीकार नहीं किया है कि ऐसे निर्यातकों के विरूद्ध जांच नहीं की जा सकती है क्योंकि समीक्षा जांच के परिणामों में इन कंपनियों को पुन: छूट दी गई है। यह मुद्दा आगे और बढ़ाया नहीं गया था और इसलिए प्राधिकारी का अंतिम निर्णय नहीं हो सका था।

ख. सेस्टेट ने निर्णायक समीक्षा जांच में प्राधिकारी द्वारा जारी इस जांच परिणाम को चुनौती देने वाली एक अपील जिसमें मूल जांच में न्यूनतम सीमा से कम मार्जिन प्राप्त किसी निर्यातक को समीक्षा जांच के अधीन रखा गया था, यह निर्णय दिया कि उस निर्यातक विशेष से संबंधित समीक्षा जांच नई जांच की तरह की गई थी।

ग. घरेलू उद्योग ने नई जांच हेतु आवेदन करना पसंद किया क्योंकि सेस्टेट का निर्णय अंतिम नहीं है और निर्यातक ने सेस्टेट के आदेश के विरूद्ध एक एसएलपी दायर की।

घ. मैक्सिको- बीफ और चावल तथा यूक्रेन- अमोनिया नाइट्रेट संबंधी पाटनरोधी उपायों में डब्ल्यू टी ओ अपीलीय निकाय के निर्णय का संदर्भ दिया गया इसमें यह माना गया था कि किसी निर्यातक जिसका पाटन मार्जिन न्यूनतम सीमा से कम हो, के विरूद्ध जांच समाप्त हो जाती है यदि प्राधिकारी ऐसे निर्णय पर पहुंचे हैं और निर्यातक को समीक्षा प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जा सकता है।

ड. निर्यातक ने आज की तारीख तक जांच में अवैधता नहीं दर्शाई है।

च. घरेलू उद्योग ने अनिश्चित नीति नहीं अपनाने का निर्णय लिया है जहां जांच की वैधता उच्चतर प्राधिकारियों के समक्ष चुनौती के लिए खुली है।

छ. यूरोपीय संघ और तुर्की जैसे देशों ने इसी प्रकार की जांच की है जिनमें ऐसे किसी निर्यातक जिसका पाटन मार्जिन न्यूनतम सीमा से कम पाया गया था, को इस निष्कर्ष पर बाद में नई जांच के अधीन रखा गया था कि संबद्ध निर्यातक उस देश में निर्यात कर रहा था।

ज. तुर्की ने छूट प्राप्त कंपनियों के विरूद्ध नई जांच की स्वत: शुरूआत की और कंपनियों पर शुल्क भी लगाया। यूरोपीय संघ ने भी न्यूनतम सीमा से कम पाटन मार्जिन वाले निर्यातक के विरूद्ध नई जांच को विधिक आधार निर्धारित किया जिसे घरेलू न्यायालय ने भी माना था।

झ. संबद्ध निर्यातक से पाटित आयातों के कारण हुई क्षति से राहत की मांग करने का घरेलू उद्योग का अंतरनिहित अधिकार है।

ञ. जी एम एक्पोर्टर बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि प्राधिकारी डब्ल्यू टी ओ के निर्णय मानने के लिए बाध्य हैं।

ट. निर्यातक को मूल जांच में प्राधिकारी द्वारा जारी जांच परिणामों के विरूद्ध अपील करनी चाहिए कि जिसकी गैर-मौजूदगी में निर्यातक अब यह दावा नहीं कर सकता है कि जांच स्पष्ट रूप से समाप्त हो गई थी।

ठ. किसी समीक्षा जांच और किसी नई जांच का प्रभाव तब तक समान होता है जब तक कि निर्यातक निर्णायक समीक्षा जांच के समय के अनुसार निर्यात कीमत की रणनीति की योजना न बना रहा हो।

घ. प्राधिकारी द्वारा जांच

i. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों और प्रति-तर्कों को नोट किया है और सभी पहलुओं की जांच की है । यह नोट किया जाता है कि मूल जांच में संबद्ध निर्यातक पर शून्य दर से पाटनरोधी शुल्क लगाया था क्योंकि पाटन मार्जिन निर्धारित न्यूनतम सीमा से कम था। निर्यातक के विरूद्ध जांच समाप्त नहीं हुई थी। निर्यातक ने न तो जांच की समाप्ति की मांग की और न ही निर्दिष्ट प्राधिकारी के निर्णय के विरूद्ध कोई अपील दायर की।

ii. वर्तमान जांच में उक्त निर्यातक ने अनुरोध किया है कि वह समीक्षा के अधीन है और न कि नई जांच के अधीन। निर्यातक ने यह दलील नहीं दी है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी उनके विरूद्ध समीक्षा जांच नहीं कर सकते हैं।

iii. यह नोट किया गया है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी निर्यातकों के विरूद्ध जांच को समाप्त किए बिना दो प्रतिशत से कम के व्यक्तिगत पाटन मार्जिन वाले निर्यातकों को शून्य शुल्क देने की परिपाटी को संगत रूप से अपनाते रहे हैं। अत: प्राधिकारी ने मूल पाटनरोधी जांच (जांचों) के स्तर पर न्यूनतम सीमा से कम पाटन मार्जिन (मार्जिनों) के कारण शून्य शुल्क वाले ऐसे निर्यातक (निर्यातकों) के विरूद्ध पूर्व में संगत रूप से निर्णायक समीक्षा जांच की हैं।

iv. यह भी नोट करना उल्लेखनीय है कि एक अन्य मामले मै० रोबिन रिसोर्सेज बनाम भारत संघ में सेस्टेट ने निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा अपनाई जा रही परिपाटी को पहले ही समर्थन दिया है। इस निर्णय के विरूद्ध एक अपील 2017 से माननीय उच्चतम न्यायाल में लंबित है। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने इस परिपाटी का समर्थन करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय ने पहले ही एक एफिडेविड दायर किया है।

v. रोबिन रिसोर्स बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी मामले में माननीय सेस्टेट ने निम्नानुसार माना है :

"हम नोट करते हैं कि डी ए ऐसे मामले जहां किसी निर्यातक को मूल जांच में शून्य शुल्क दिया गया हो और अब पाटन करते हुए पाया गया हो जिससे डी आई को क्षति हो सकती हो, के संबंध में समीक्षा के दौरान निर्धारित पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन के संदर्भ में पाटनरोधी शुल्क लगाने पर विचार कर सकते हैं। हम नोट करते हैं कि डी ए ने एडीए के अनुच्छेद 2 और 3 तथा ए डी नियमावली के संगत प्रावधानों की अपेक्षाओं का पालन किया है। हम यह भी नोट करते हैं कि अपलीकर्ताओं के संबंध में डी ए ने मूल जांच के सभी पहलुओं की जांच और समीक्षा की है और इसके अलावा, इस बात की भी जांच की है कि क्या शुरूआती अधिसूचना की समाप्ति से पाटन/घरेलू उद्योग को क्षति की पुनरावृत्ति होने की संभावना है जैसा पहले नोट किया गया है कि जहां तक अपलीकर्ता का संबंध है यह एक नई जांच जैसी है और हमें डी ए की ऐसी कार्रवाई में कोई कानूनी कमी दिखाई नहीं देती है"।

vi सेस्टेट ने माना कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने मूल जांच से सभी पहलुओं की जांच और समीक्षा की है और यह ऐसे निर्यातक के विरूद्ध नई जांच की तरह है। अत: प्राधिकारी निर्णायक समीक्षा जांच के माध्यम से शून्य शुल्क वाले निर्यातक की जांच कर सकते हैं।

vii. चूंकि सेस्टेट के निर्णय के विरूद्ध अपील माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित है इसलिए न्यूनतम सीमा से कम पाटन मार्जिन वाले अलग-अलग निर्यातकों के विरूद्ध निर्णायक समीक्षा जांच करने की मौजूदा प्रक्रिया को जारी रखना उचित है।

viii. इसके अलावा, यह उल्लेखनीय है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा की गई समीक्षा जांच – चाहे वह अंतरिम हो या निर्णायक समीक्षा हो – में जांच के सभी पहलू शामिल होते हैं और यह कि निर्दिष्ट प्राधिकारी पाटनरोधी शुल्क स्तर में भी संशोधन करते रहे हैं। ऐसे मामले में घरेलू उद्योग का उद्देश्य नियम 23 के अंतर्गत समीक्षा जांच के द्वारा समान रूप से पूरा हो सकता है और नियम 5 के अधीन नई जांच शुरू करना आवश्यक नहीं हो सकता है।

ix. उपर्युक्त के मद्देनजर नियम 5 के अधीन जांच शुरू करना उचित नहीं समझा गया है और ऐसी स्थिति में इसके बजाय नियम 23 के अंतर्गत समीक्षा जांच करना सही माना गया है जहां पर निर्यातक न्यूनतम सीमा से कम पाटन मार्जिन के कारण पाटनरोधी शुल्क के अधीन न हो। तदनुसार, प्राधिकारी नियम 23 के अंतर्गत समुचित उपचार की मांग करने के लिए घरेलू उद्योग को स्वतंत्रता प्रदान करते हुए वर्तमान जांच को समाप्त करते हैं।

अनंत स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

NOTIFICATION

TERMINATION ORDER

New Delhi, the 7th May, 2021

Case No. ADD-OI-08/2020

Subject: Anti-dumping investigation concerning imports of 'Plain Medium Density Fibre Board having thickness 6mm and above' produced by M/s. Kim Tin MDF Joint Stock Company, Vietnam.

F.No. 6/9/2020-DGTR.—Having regard to the Customs Tariff Act 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the 'Act') and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as 'The Rules' or 'AD Rules') thereof;

A. Background of the case

1. An original anti-dumping investigation concerning imports of the subject goods from Indonesia & Vietnam was initiated by the Authority vide Notification No. 14/23/2014-DGAD dated 7th May 2015. The Authority notified final findings vide Notification No. 14/23/2014/DGAD dated 5th May 2016 recommending definitive antidumping duty on imports of "Plain Medium Density Fibreboard having thickness 6 mm and above" from Indonesia and Vietnam. The definitive antidumping duty was imposed on the subject goods vide Customs Notification No. 34/2016-Customs (ADD) dated 14th July 2016. The duties are effective till 13thJuly 2021. No anti-dumping duty was levied on M/s Kim Tin MDF Joint Stock Company, Vietnam since its dumping margin was below de-minimis level.

2. M/s Greenply Industries Limited/ M/s Greenpanel Industries Limited,M/s Century Plyboards (India) Ltd., and M/s Rushil Décor Limited (hereinafter referred to as the "Applicants" or "Domestic Industry") thereafter filed a duly substantiated application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the "Authority"), on behalf of the domestic industry, in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred as the "Act") and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred as the "Rules"), for initiation of original anti-dumping investigation concerning imports of Plain Medium Density Fibre Board having thickness 6 mm and above (hereinafter also referred to as "product under consideration" or "PUC" or "subject goods"), produced by M/s. Kim Tin MDF Joint Stock Company, Vietnam. (hereinafter referred to as 'subject exporter')

3. Based on the substantiated application with prima facie evidence of dumping and injury filed by the Applicants, the Authority initiated an anti-dumping investigation vide Notification No. 6/9/2020 – DGTR dated 11th May, 2020, published in the Gazette of India, in accordance with Rule 5 of the Rules to determine existence, degree and effect of alleged dumping of the subject goods produced by M/s. Kim Tin MDF Joint Stock Company, Vietnam, and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the alleged material injury to the domestic industry.

B. Procedure

4. The procedure described below has been followed with regard to the investigation:

   i. The Authority notified the Embassy of Vietnam in India about the receipt of the present application before proceeding to initiate the investigations in accordance with sub-rule 5(5) of the AD Rules.

   ii. The Authority issued a Notification dated 11th May, 2020, published in the Gazette of India Extraordinary, initiating investigation concerning imports of the subject goods from the subject exporter.

   iii. The Authority sent a copy of the initiation notification to the Embassy of Vietnam, thesubject exporter, known importers/users, as per the addresses made available by the applicant and requested them to make their views known in writing within 60 days from the receipt of notice in accordance with Rule 6(4) of the AD Rules.

   iv. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the subject exporter, known importers and to the Embassy of Vietnam in India in accordance with Rule 6(3) of the AD Rules.

v. The Authority sent exporter's questionnaire to M/s. Kim Tin MDF Joint Stock Company, Vietnam.

vi. The Embassy of Vietnam in India was also requested to advise the subject exporter to respond to the questionnaire within the prescribed time limit. A copy of the letter and questionnaire sent to the subject exporter.

vii. The subject exporter and its following related entities filed exporter's questionnaire response andlegal submissions and/or letters of participation in response to the initiation notification:

 i. M/s. Kim Tin MDF Joint Stock Company

 ii. M/s. FSC Vietnam Corporation

 iii. M/s. Kim Tin Investment Corporation

 iv. M/s. Kim Tin Group Joint Stock Company

viii. The Authority forwarded a copy of the Initiation Notification to the following known importers/users/user associations, whose names and addresses were made available to the authority, of subject goods in India and advised them to make their views known in writing within the time limit prescribed by the Authority in accordance with the Rule 6(4):

 a. M/s Krishna Plywood Products Private Limited

 b. M/s Jacsons Veneers and Panels Private Limited

 c. M/s Label Sales Corporation

 d. M/s Kalinga Imports & Exports Private Limited

 e. M/s Srivari Traders

 f. M/s Victory Plywood Distributors

 g. M/s Thamarapally Brothers Trading Private Limited

 h. M/s Mathewsons Exports & Imports Private Limited

 i. M/s R.J.Metals

 j. M/s Feroke Boards Limited

ix. None of the importers/users/user associations have filed submissions or questionnaire responses in the present investigation.

x. Information provided by interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.

xi. A list of all interested parties was uploaded on DGTR's website along with the request therein to email the NCV of their submissions to all other interested parties since the public file was not accessible physically due to ongoing global pandemic

xii. The period of investigation for the purpose of the present investigation has been considered from 1st July, 2019 to 30th June, 2020 (POI). The injury investigation period has been considered as the period from 2016-17, 2017-18, April 2018 – June 2019 and the period of investigation.

xiii. The Non-Injurious Price (NIP) is based on the cost of production and cost to make and sell the subject goods in India based on the information furnished by the domestic industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the AD Rules. It has been worked out so as to ascertain whether duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the Domestic Industry.

xiv. Information obtained from the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) on transaction-wise import data for the past three years, and the period of investigation has been adopted for determination of volume and value of imports of product concerned in India.

xv. In accordance with Rule 6(6) of the Rules, the Authority also provided opportunity to all interested parties to present their views orally in a hearing held on 26th February 2021. All the parties who had attended the oral hearing were provided an opportunity to file written submissions, followed by rejoinders, if any.

xvi. The submissions made by the interested parties during the course of this investigation, wherever found relevant, have been addressed by the Authority, in this notification.

xvii. Wherever an interested party has refused access toor has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded this notification on the basis of the facts available.

xviii.*** in this notification represents information furnished by an interested party on confidential basis, and so considered by the Authority under the Rules.

xix. The exchange rate adopted by the Authority during the POI for the subject investigation is 1 US$= 71.34.

C. Major arguments by interested parties concerning maintainability of the present investigation.

5. M/s Kim Tin MDF Joint Stock Company, Vietnam, the sole exporter under investigation in the present investigations, has made following submissions concerning maintainability of the present investigation.

i. The initiation is not maintainable. The investigation was not terminated against the exporter by issue of a public notice, in an express manner, and the levy is still in force. The rule is not that zero or nil duty shall be read as termination. The conclusion in the original findings did not talk about termination either, even though the initiation notification in the present investigation states so.

ii. The observation of the Authority that no review can be initiated against Kim Tin is based on the wrong premise that the case was terminated against Kim Tin.

iii. The petition was filed without considering the stand of the Authority in such cases. The argument made by the domestic industry in a similar case that nil duty in the case of de-minimis margin is legal and exporter with nil duty can be subjected to review was accepted by the Authority and CESTAT. In view of the same, Kim Tin should be subject to review and the present investigation be terminated.

iv. Kim Tin did not appeal for specific termination of previous investigation as competent authorities were of the view that nil duty is also a form of duty and can be subject to review.

6. The domestic industry made following submissions

a. The present application is WTO and Indian law compliant. Authority has previously conducted sunset reviews in PVC Suspension, PVC paste and Phthalic Anhydride where responding exporters had de-minimis dumping margins. Even though the Authority did not accept the argument of the opposing parties that review investigations cannot be conducted against such exporters, since the findings of the review investigations once again exempted these companies, the issue was not agitated any further and therefore, the decision of the Authority has not attained finality.

b. The CESTAT, in an appeal challenging the findings issued by the Authority in sunset review investigation where, an exporter who was awarded a de-minimis margin in the original investigation was also subjected to the review investigation, ruled that the review investigation pertaining to the particular exporter was conducted like a fresh investigation.

c. The domestic industry preferred to file a fresh investigation as the CESTAT decision has not attained finality as the exporter has filed an SLP against the CESTAT order.

d. Reference was made to WTO Appellate Body decision in Mexico – Beef and Rice and Ukraine – Anti-Dumping Measures on Ammonium Nitrate wherein it was held that an investigation against an exporter whose dumping margin is de-minimis stands terminated once the Authority has reached such a conclusion, and the exporter cannot be included in the review process.

e. The exporter has shown no illegality in the investigation till date.

f. The domestic industry decided not to adopt an uncertain approach where legality of investigation was open to challenge before higher authorities.

g. Countries like European Union and Turkey has conducted similar investigations wherein an exporter whose dumping margin was found to be de-minimis was later subjected to a fresh investigation on finding that the subject exporter was dumping in the country.

h. Turkey suo moto initiated a fresh investigation against the exempted companies and imposed duties on the companies as well. European Commission also determined the legal basis of a fresh investigation against an exporter with a de-minimis dumping margin, which was also upheld by the domestic courts.

i. It is the inherent right of the domestic industry to seek relief for the injury being caused due to the dumped imports from the subject exporter.

j. The Supreme Court in GM Exporter v. Designated Authority stated that the Authority is bound to follow WTO decisions.

k. The exporter should have appealed against the findings issued by the Authority in the original investigation, in the absence of which, the exporter now cannot claim that the investigation was not expressly terminated.

l. The impact of a review investigation and a fresh investigation would be the same unless the exporter was planning to strategize its export price according to the timing of the sunset review investigation.

D. Examination by the Authority

i. The Authority has noted the arguments and counter-arguments of the interested parties and has examined all aspects. It is noted that in the original investigationan Anti-dumping duty at nil rate was levied on the subject exporter since the dumping margin was below the de minimis level. The investigation was not terminated against the exporter. The exporter did neither demand termination of investigation then, nor filed any appeal against the decision of the Designated Authority.

ii. The said exporter in the current investigation has pleaded that it is subject to review and not fresh investigation. The exporter has not contended that the Designated Authority cannot conduct a review investigation against them.

iii. It is noted that the Designated Authority has been consistently following the practice of giving zero duty to exporters with individual dumping margin of less than 2%, without terminating the investigation against them. The Authority has therefore consistently in the past conducted sunset review investigations against such exporter(s) having zero duty on account of *de-minimis* dumping margin(s) at the stage of original anti-dumping investigation(s).

iv. It is also worth noting that in another case M/s. Robin Resources Vs UoI, the CESTAT has already upheld the practice being followed by the Designated Authority. An appeal against this decision is pending in the Hon'ble Supreme Court since 2017. The Designated Authority has already filed an affidavit in the Hon'ble Supreme Court defending this practice.

v. The Hon'ble CESTAT in the matter of Robin Resource vs Designated Authority, held as follows:

"We note that the DA can consider where an exporter was awarded zero duty in the original investigation and has now found to be dumping, which is likely the cause injury to DI, then AD duty can be considered for imposition with reference to dumping margin and injury margin established during the review. We note that the DA followed the requirements of Article 2 & 3 of the ADA and the relevant provisions of AD Rules. We also note that regarding appellants, the DA has examined and reviewed all the aspects of original investigation and in addition examined whether expiry of initial Notification is likely to lead a recurrence of dumping/ injury to the DI. As already noted, that this is like a fresh investigation in so far as appellant is concerned and we find no legal infirmity in such action by the DA."

vi. The CESTAT held that the Designated Authority had examined and reviewed all the aspects of original investigationand it was like a fresh investigation against such exporter. Therefore, the Authority can examine the exporter having zero duty through sunset review investigation.

vii. Since the appeal against the decision of CESTAT is pending in the Hon'ble Supreme Court, it is appropriate to continue with the existing practice of conducting sunset review investigations against individual exporters having de-minimis dumping margin.

viii. Further, it is noteworthy that review investigations conducted by the Designated Authority – whether interim or sunset review – covers all aspects of an investigation and that the Designated Authority has been modifying the level of anti dumping duty also. Such being the case, the purpose of domestic industry is equally served by undertaking review investigations under Rule 23 and it may not be necessary to launch a fresh investigation under Rule 5.

ix. In view of the above, it is considered appropriate not to undertake an investigation under Rule 5 and instead undertake review investigation under Rule 23 in such situations where exporter is not subjected to antidumping duty because of de-minimis dumping margin. Accordingly, the Authority terminates the present investigationwhile granting liberty to the domestic industry to seek appropriate remedy under Rule 23.

ANANT SWARUP, Designated Authority

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2021.05.08 16:19:36 +05'30'